



एम.पी. स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि.
पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल
दूरभाष कं. 0755-2551652, 2551756 फ़ैक्स-2557305
E-Mail : mpagrohobpl@gmail.com, Website : www.mpstateagro.nic.in

हार्डड्रोज़ेल (वाटर एब्जॉर्वेन्ट) के प्रदाय हेतु ऑन-लाईन रेट कांट्रैक्ट ऑफर दस्तावेज

नियत तिथि 18.01.2018

दस्तावेज फीस- 2000/-

उप महाप्रबंधक (विपणन)



एम.पी. स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि.
पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल

रेट कांट्रेक्ट ऑफर संबंधी महत्वपूर्ण नियम एवं शर्तें

क्रं.	विवरण	पृष्ठ संख्या	पृष्ठ क्रमांक
01	प्रकाशित रेट कांट्रेक्ट ऑफर सूचना	1	3
02	हाईड्रोजेल (वाटर एब्जॉर्वेन्ट) के प्रदाय हेतु रेट कांट्रेक्ट ऑफर की प्रक्रिया व DISCLAIMER	1	4
03	रेट कांट्रेक्ट ऑफर के साथ संलग्न किये जाने वाले तकनीकी अर्हता संबंधी दस्तावेजों का विवरण	1	5
04	रेट कांट्रेक्ट ऑफर की शर्तों का विवरण परिशिष्ट क्रं. 1	9	6 से 14 तक
05	तकनीकी मापदण्ड (परिशिष्ट क्र0 2)	1	15
06	ऑफरकर्ता फर्म का विस्तृत विवरण परिशिष्ट – 3	1	16
07	वित्तीय प्रस्ताव परिशिष्ट – 4	1	17
08	अनुबंध का प्रारूप परिशिष्ट – 5	1	18

उप महाप्रबंधक (विपणन.)



एम.पी. स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि.
पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल
दूरभाष क्रं. 0755-2551652, 2551756 फ़ैक्स-2557305
E-Mail : mpagrohobpl@gmail.com, Website : www.mpstateagro.nic.in

क्र./मुख्या/विपणन/2017-18/

दिनांक : 23.12.2017

रेट कांट्रेक्ट ऑफर सूचना ::

निगम द्वारा हाईड्रोजेल (वाटर एब्जॉर्वेन्ट) के प्रदाय हेतु (निर्धारित तकनीकी मापदण्ड अनुसार) निर्माताओं से ऑनलाईन रेट कांट्रेक्ट आमंत्रित की जाती हैं :-

क्रं.	सामग्री नाम	संकल्प धन राशि
1	<u>हाईड्रोजेल (वाटर एब्जॉर्वेन्ट)</u> यह सामग्री किसी शासकीय विश्वविद्यालय अथवा शासकीय संस्थान से उपयोग हेतु टेस्टेड हो।	50,000.00

हाईड्रोजेल (वाटर एब्जॉर्वेन्ट) की प्रदायगी मध्य प्रदेश के समस्त जिलों के ब्लॉक/ग्राम पंचायत स्तर पर की जाना है। इस रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर में केवल वे निर्माता जिन्होंने हाईड्रोजेल (वाटर एब्जॉर्वेन्ट) को शासकीय विश्वविद्यालय/ संस्थान आदि से टेस्टिंग करवाया हो, एवं टेस्ट रिपोर्ट प्राप्त की हो से ऑफर आमंत्रित किये जाते हैं। हाईड्रोजेल (वाटर एब्जॉर्वेन्ट) उपरोक्त मापदण्ड अनुसार ही प्रदाय होंगे।

प्रदायकर्ता के पास रेट कांट्रेक्ट ऑफर में भाग लेने हेतु वैद्य क्लास 3 डिजिटल सिग्नेचर होना आवश्यक है। रेट कांट्रेक्ट ऑफर के अंतर्गत अंतिम तिथि 18.01.2018 निर्धारित समय 2.00 बजे तक विधिवत ऑन-लाईन भरना है एवं निगम के कार्यालय में भौतिक रूप से भी रेट कांट्रेक्ट ऑफर दस्तावेज (हार्ड कापी) रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर बाक्स में जमा कराना आवश्यक है।

विस्तृत विवरण निगम की वेबसाइट www.mpagro.org पर उपलब्ध है तथा www.mpeproc.gov.in पर जाकर ऑन-लाईन रेट कांट्रेक्ट ऑफर भर सकते हैं। किसी भी आन लाईन रेट कांट्रेक्ट ऑफर को पूर्णतः/अंशतः स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार निगम के प्रबंध संचालक को होगा।

उप महाप्रबंधक (विपणन)



एम.पी. स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि.
पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल

दूरभाष क्रं. 0755-2551652, 2551756 फैक्स-2557305

E-Mail : mpagrohobpl@gmail.com, Website : www.mpstateagro.nic.in

A. DISCLAIMER

Though adequate care has been taken in the preparation of this RATE CONTRACT OFFER (R.C.O.) document. The offerer should satisfy himself that the document is completed in all respect. Intimation of discrepancy, if any, should be given to M.P. Agro before opening date. If M.P. Agro receives no intimation, it shall be deemed that the Offerer is satisfied that the document is complete in all respects.

B. ON LINE RATE CONTRACT OFFER (R.C.O.)

On Line The RATE CONTRACT OFFER (R.C.O.) is invited under E-Tender system and bidding process will have following steps:

R.C.O. Fee	Rs 2000/- (shall be paid online) (Non Refundable))
EMD	Rs. 50,000/- Amount by way of Demand draft In favour of 'The M.P. State Agro Industries Development corporation Limited' Payble at Bhopal.

Stages of Bidding	Scheduled time	Scheduled Date
Purchase of R.C.O. Documents	Upto 2.00 PM	18.01.2018
Closing of R.C.O	Upto 2.00 PM	18.01.2018
Opening of technical bid	At 3.30 PM	18.01.2018 (tentative)
Opening of Financial Bid	At 3.30 PM	22.01.2018 (tentative)

Each stage will take place on the date and time mentioned against them. However if the date and time is changed/ postponed information in this regard will be published on corporation website www.mpagro.org & www.mpeproc.gov.in. No further announcement will be made in news paper.

नोट :-

उपरोक्त निर्धारित दिनांकों को यदि शासकीय/स्थानीय अवकाश घोषित होता है तो सभी प्रयोजनों के लिये आगामी कार्य दिवस में तदनुसार निर्धारित कार्यवाही की जावेगी।

उप महाप्रबंधक (विपणन)



एम.पी. स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि.
पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल

ऑनलाईन रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर के अंतर्गत निम्नानुसार तकनीकी अर्हता संबंधी दस्तावेज (स्वहस्ताक्षरित व सील लगे हुये) की स्केन कापी निगम की वेबसाईट पर "अपलोड" करना अनिवार्य है :-

1. संकल्प धन राशि का ड्राफ्ट जो "एम पी स्टेट एग्रो इण्ड डेव्ह. कार्पो. लि" के नाम से भोपाल देय हो, रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर के साथ संकल्प धनराशि के ड्राफ्ट की स्केन कॉपी।
2. प्रदायक द्वारा हाईड्रोजेल का व्यवसाय किया जा रहा है। इस संबंध में संबंधित प्रमाणों की प्रति। जैसे – जी.एस.टी. रिटर्न या चार्टर्ड एकाउण्टेंट का प्रमाण पत्र।
3. वैध जी.एस.टी. नंबर की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि की स्केन कॉपी।
4. आयकर विभाग द्वारा जारी पेन नंबर की स्वप्रमाणित प्रति की स्केन कॉपी।
5. निर्माता जिन्होंने हाईड्रोजेल (वाटर एब्जॉर्वेन्ट) को शासकीय विश्वविद्यालय/ संस्थान आदि से टेस्टिंग करवाया हो, एवं टेस्ट रिपोर्ट प्राप्त की हो, टेस्ट रिपोर्ट की स्केन प्रति।

नोट :-

1. *उपरोक्तानुसार तकनीकी अर्हता में उपयुक्त पाये गये ऑफरकर्ताओं की ही ऑन-लाईन दरें खोली जावेगीं। ऑन-लाईन दरें खोलने का अंतिम निर्णय निगम का होगा। ऑन-लाईन दरें खोलने की तिथि में परिवर्तन होने पर संशोधित दिनांक एवं समय ऑफरकर्ताओं को वेबसाईट एवं निगम मुख्यालय के नोटिस बोर्ड पर सूचित किया जावेगा।*

उप महाप्रबंधक (विपणन)



एम.पी. स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि.
पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल

हाईड्रोजेल (वाटर एब्जॉर्वेन्ट) के प्रदाय हेतुरेट कान्ट्रेक्ट ऑफर संबंधी नियम एवं शर्तें

निगम के माध्यम से मध्यप्रदेश के जिलों में (विकास खण्ड/ग्राम पंचायत स्तर तक पहुंचाकर) निर्धारित गुणवत्ता के हाईड्रोजेल (वाटर एब्जॉर्वेन्ट) प्रदाय हेतु केवल वे प्रदायक जिन्होंने शासकीय विश्वविद्यालय/ संस्थान आदि से टेस्टिंग करवाया हो, एवं टेस्ट रिपोर्ट प्राप्त की हो से निर्धारित रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रपत्र में दरें आमंत्रित की जाती है। रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रस्तुत करने हेतु सामान्य शर्तें निम्नानुसार है :-

1. रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रस्तुत करने की आर्हता :- हाईड्रोजेल (वाटर एब्जॉर्वेन्ट)

- 1 संकल्प धन राशि का ड्राफ्ट जो "एम पी स्टेट एग्रो इण्ड डेव्ह. कार्पो. लि" के नाम से भोपाल देय हो।
- 2 प्रदायक द्वारा हाईड्रोजेल का व्यवसाय किया जा रहा है। इस संबंध में संबंधित प्रमाणों की प्रति। जैसे - जी.एस.टी. रिटर्न या चार्टर्ड एकाउण्टेंट का प्रमाण पत्र।
- 3 वैद्य जी.एस.टी. नंबर की स्वप्रमाणित प्रति।
- 4 आयकर विभाग द्वारा जारी पेन नंबर की स्वप्रमाणित प्रति।
- 5 निर्माता जिन्होंने हाईड्रोजेल (वाटर एब्जॉर्वेन्ट) को शासकीय विश्वविद्यालय/ संस्थान आदि से टेस्टिंग करवाया हो, एवं टेस्ट रिपोर्ट प्राप्त की हो, टेस्ट रिपोर्ट ।

2. आवश्यक दस्तावेज - रेट कान्ट्रेक्ट आफर के साथ ऑन-लाईन एवं हार्ड कापी क्रमशः "अ" एवं "ब" में दर्शाये अनुसार दस्तावेज प्रस्तुत किये जाना अनिवार्य है।

"अ"- ऑन लाईन रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर के अंतर्गत ऑन लाईन दरें प्रस्तुत करना अनिवार्य है एवं तकनीकी अर्हता संबंधी दस्तावेजों की स्केन कॉपी वेबसाईट www.mpeproc.gov.in पर अपलोड करना अनिवार्य है :-

- 1 संकल्प धन राशि का ड्राफ्ट जो "एम पी स्टेट एग्रो इण्ड डेव्ह. कार्पो. लि" के नाम से भोपाल देय हो, रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर के साथ संकल्प धनराशि के ड्राफ्ट की स्केन कॉपी।
- 2 प्रदायक द्वारा हाईड्रोजेल का व्यवसाय किया जा रहा है। इस संबंध में संबंधित प्रमाणों की प्रति। जैसे - जी.एस.टी. रिटर्न या चार्टर्ड एकाउण्टेंट का प्रमाण पत्र।
- 3 वैद्य जी.एस.टी. नंबर की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि की स्केन कॉपी।
- 4 आयकर विभाग द्वारा जारी पेन नंबर की स्वप्रमाणित प्रति की स्केन कॉपी।
- 5 निर्माता जिन्होंने हाईड्रोजेल (वाटर एब्जॉर्वेन्ट) को शासकीय विश्वविद्यालय/ संस्थान आदि से टेस्टिंग करवाया हो, एवं टेस्ट रिपोर्ट प्राप्त की हो, टेस्ट रिपोर्ट की स्केन प्रति।

“ब”- रेट कान्ट्रेक्ट आफर के साथ Hard Copy में निम्नानुसार दस्तावेज बंद लिफाफे में आफर-बाक्स में प्रस्तुत किये जाना अनिवार्य है:-

1. प्रदायक द्वारा हाईड्रोजेल का व्यवसाय किया जा रहा है। इस संबंध में संबंधित प्रमाणों की प्रति। जैसे - जी.एस.टी. रिटर्न या चार्टर्ड एकाउण्टेंट का प्रमाण पत्र।
2. वैद्य जी.एस.टी. नंबर की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि।
3. आयकर विभाग द्वारा जारी वैद्य पेन नंबर की स्वप्रमाणित प्रति।
4. शासकीय विश्वविद्यालय/ संस्थान आदि से टेस्टिंग करवाया हो, की टेस्ट रिपोर्ट की प्रति।
5. सक्षम शासकीय विश्वविद्यालय / शासकीय संस्थान आदि से गैर विषैला होने की टेस्ट रिपोर्ट
6. संकल्प धन राशि का ड्राफ्ट जो “एम पी स्टेट एग्रो इण्ड डेव्ह. कार्पो. लि” के नाम से भोपाल देय हो, रेट कान्ट्रेक्ट आफर दस्तावेजों के साथ संकल्प धनराशि का ड्राफ्ट संलग्न करना अनिवार्य है।
7. पूर्ण रूप से भरे हुये एवं स्वहस्ताक्षरित संपूर्ण रेट कान्ट्रेक्ट आफर डाक्यूमेंट।
8. ऑन लाईन रजिस्ट्रेशन फीस जमा करने के एक्नॉलेजमेंट की कॉपी।

नोट- जो प्रदायकर्ता विधिवत रूप से ऑन-लाईन आफर दर/अनिवार्य दस्तावेजों की स्कैन कापी सहित निर्धारित तिथि एवं समय पर प्रस्तुत करेंगे एवं तकनीकी रूप से पात्र होंगे, उन्हीं की ऑन-लाईन दरें खोली जायेंगी।

3. ई-टेंडरिंग/ऑन-लाईन ऑफर प्रस्तुत करने की प्रक्रिया-

1. ई-टेंडरिंग के माध्यम से भाग लेने हेतु निर्माता कृपया नियम शर्तों का विशेष रूप से अध्ययन करने के उपरांत ऑफर दर व अनिवार्य दस्तावेजों को ऑन - लाईन सम्मिलित करने हेतु क्लास 3 डिजिटल सिग्नेचर लेना होगा।
2. ई-टेंडरिंग के माध्यम से रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रस्तुत करने हेतु दस्तावेज फीस (नॉन रिफन्डेबिल) रूपये 2,000/- “ऑन-लाईन” जमा करना अनिवार्य है।

4. ऑन-लाईन रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रस्तुत करना :-

1. ई-टेंडरिंग के अंतर्गत निर्धारित ऑन-लाईन रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रपत्र की कीमत रु. 2,000/- (वापसी योग्य नहीं) का ऑन-लाईन भुगतान करके www.mpeproc.gov.in पर जाकर ई-टेंडरिंग के अंतर्गत आफर दर व दस्तावेजों (शर्त क्र. 02 “अ” अनुसार) की स्कैन कापी के साथ निर्धारित तिथि/समय तक भर सकते हैं, परन्तु निगम की वेबसाइट www.mpstateagro.org से ऑन-लाईन रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर प्रपत्र डाउनलोड किये जा सकते हैं।
2. भौतिक रूप से भी ऑन-लाईन रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर प्रपत्र निर्माता द्वारा निगम कार्यालय में निर्धारित तिथि दिनांक 18.01.2018 को समय दोपहर 2.00 बजे तक विपणन कक्ष के ऑफर बॉक्स में दिये जाना आवश्यक है।

3. एक प्रदायकर्ता से एक ही रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर स्वीकार की जावेगी।
4. ऑन-लाईन रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर प्रपत्र (हार्ड कापी) सभी प्रकार से पूरी तरह भरा हुआ एवं शर्त क्रं.-2 "ब" के समस्त दस्तावेज (हार्ड कापी) के साथ बंद लिफाफे में निगम मुख्यालय भोपाल स्थित कार्यालय में उपमहाप्रबंधक (विपणन) के कक्ष में निर्धारित रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर बॉक्स में निर्धारित तिथि/समय पर प्राप्त किये जावेंगे। लिफाफा के ऊपर स्पष्ट शब्दों में हाईड्रोजेल (वाटर एब्जॉर्वेन्ट) के प्रदाय हेतु ऑन-लाईन **रेट कान्ट्रेक्ट आफर** लिखा जावे।

5. दर संबंधी शर्तें –

1. दरें ऑन लाईन **रेट कान्ट्रेक्ट आफर** प्रपत्र के निर्धारित परिशिष्ट-4 में प्रस्तुत करना है।
2. प्रस्तुत दर निगम के माध्यम से मध्यप्रदेश के समस्त जिलों में (विकास खण्ड/ग्राम पंचायत स्तर तक पहुंचाकर निर्माता को दिये गये स्थान तक) परिवहन व्यय, लोडिंग/अनलोडिंग, निरीक्षण शुल्क, समस्त कर एवं ड्यूटी एवं **5 प्रतिशत निगम मार्जिन सहित** होगी। हाईड्रोजेल (वाटर एब्जॉर्वेन्ट) का प्रदर्शन एवं उपयोग करने की विधि के संबंध में प्रशिक्षण ग्राम पंचायत स्तर पर निर्माता द्वारा दिया जाना होगा। इसका व्यय निर्माता स्वयं वहन करेगा।
3. प्रस्तुत दर **रेट कान्ट्रेक्ट आफर** प्रपत्र की शर्त क्रं.- 15 के तहत दरें न्यूनतम होना आवश्यक है।
4. ऑन लाईन रेट कान्ट्रेक्ट आफर के अंतर्गत अनुमोदित दरें एक वर्ष (अनुमोदित तिथि से) तक लागू रहेंगी। इस अवधि के पश्चात निगम द्वारा यह अवधि रेट कान्ट्रेक्ट ऑफरकर्ता की सहमति से बढ़ाई जा सकती है।
5. दरों को अंकों एवं शब्दों में दिया जाना आवश्यक है। अंकों एवं शब्दों में अंतर होने की स्थिति में शब्दों में दी गई दर को अंतिम मान्य किया जाएगा।
6. एक से अधिक ऑफर प्राप्त होने पर न्यूनतम दर का ऑफर अन्य ऑफरकर्ताओं को दिया जावेगा। यदि अन्य ऑफरकर्ता न्यूनतम दर पर प्रदाय करने के लिए सहमत होते हैं तो उनसे भी अनुबंध संपादित किया जावेगा।

6. संकल्प धनराशि :-

हाईड्रोजेल (वाटर एब्जॉर्वेन्ट) की संकल्प धनराशि का विवरण निम्नानुसार है :-

क्रं.	सामग्री नाम	संकल्प धन राशि
1	<u>हाईड्रोजेल (वाटर एब्जॉर्वेन्ट)</u> यह सामग्री किसी शासकीय विश्वविद्यालय अथवा शासकीय संस्थान से उपयोग हेतु टेस्टेड हो।	50,000.00

ऑन लाईन **रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर** के साथ उपरोक्तानुसार दर्शाई गई संकल्प धन राशि का बैंक ड्राफ्ट जो "एम पी स्टेट एग्री इण्ड डेव कार्पो लि." के पक्ष में भोपाल देय हो, संलग्न होना आवश्यक है। संकल्प धन राशि के अभाव में ऑन लाईन रेट कान्ट्रेक्ट आफर किसी भी स्थिति में मान्य नहीं किया जावेगा।

7. ऑन-लाईन रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर का खोला जाना:-

रेट कान्ट्रेक्ट ऑफरकर्ता उपमहाप्रबंधक (विपणन) एम पी स्टेट एग्रो इण्ड डेव्ह. कार्पो. लिमि. पंचानन तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल कार्यालय में रखे निर्धारित रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर बाक्स में दिनांक 18.01.2018 दोपहर 2.00 बजे तक विधिवत भरे हुये ऑन लाईन रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर प्रपत्र की हार्ड कापी एवं मय चाहे गये दस्तावेजों (शर्त क्र. 02 "ब" अनुसार) की हार्ड कापी जमा कर सकेंगे ।

ऑन लाईन रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर दिनांक 18.01.2018 को दोपहर 3.30 बजे उपस्थित ऑफरकर्ता अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोले जावेंगे। तकनीकी रूप से जो ऑफरकर्ता पात्र होंगे, उन्हीं की ऑन-लाईन दरें खोली जायेंगी। यदि किसी कारणवश ऑन लाईन रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर खोलने की तिथि एवं समय में परिवर्तन किया जाता है तो संशोधित तिथि व समय की सूचना निगम की वेबसाईट www.mpagro.org & www.mpeproc.gov.in पर एवं मुख्यालय के नोटिस बोर्ड पर दी जाएगी व रेट कान्ट्रेक्ट ऑफरकर्ता अथवा उनके प्रतिनिधियों द्वारा जानकारी लेने पर दी जा सकेगी ।

8. सशर्त आफर :-

निगम द्वारा ऑन लाईन रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर प्रपत्र में उल्लेखित शर्तों के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की शर्त मान्य नहीं की जायेगी । सशर्त रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर अमान्य किये जावेंगे ।

9. धरोहर राशि :-

- अ. ऑफरकर्ताओं जिनकी दरें निगम द्वारा स्वीकार की जावेंगी, उनके द्वारा की गई संकल्प धन राशि को धरोहर राशि के रूप में अनुबंध की अवधि तक जमा रखा जायेगा ।
- ब. धरोहर राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा ।
- स. अनुबंध की प्रभावशीलता अवधि में कोई विवाद न होने की दशा में अनुबंध अवधि समाप्त होने के उपरांत प्रदायक द्वारा लिखित में आवेदन दिये जाने पर धरोहर राशि बिना ब्याज के एकाउंट पेयी चैक के माध्यम से वापस की जा सकेगी ।
- द. संकल्प धन राशि/धरोहर राशि निम्न स्थिति में जप्त की जा सकती है :-
 1. निगम द्वारा रेट कान्ट्रेक्ट ऑफरकर्ता के बिड/ऑफर को स्वीकृत/अमान्य/ निरस्त करने के पूर्व अपना ऑफर वापस लिये जाने की दशा में ।
 2. ऑन लाईन रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर के साथ गलत जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत करने की दशा में ।
 3. निगम के आदेश के विरुद्ध निर्धारित समय सीमा में आदेशित सामग्री प्रदाय न किये जाने की दशा में ।
 4. प्रदाय सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप न होने की दशा में निगम द्वारा सामग्री को पूर्ण गुणवत्ता की सामग्री बदल कर देने हेतु लिखे जाने के उपरान्त भी निर्धारित समयसीमा में नही बदलने पर ।

5. प्रदायक द्वारा ऐसी कोई कार्यवाही करने पर जिससे निगम की छवि को हानि पहुंचे/निगम को कोई व्यवसायिक हानि हो। धरोहर राशि जप्त करने के साथ ही निगम के प्रबंध संचालक संबंधित रेट कान्ट्रेक्ट ऑफरकर्ता फर्म को निगम के माध्यम से प्रदाय करने हेतु 1 से 5 वर्ष तक के लिए वंचित भी कर सकते हैं।

10. अनुबंध का निष्पादन :-

योग्य पाये गये रेट कान्ट्रेक्ट ऑफरकर्ता को निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट 5) अनुसार राशि रू. 1000/- के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर अनुबंध निष्पादित करना होगा। निगम द्वारा जिन रेट कान्ट्रेक्ट ऑफरकर्ता के ऑन-लाईन आफर को मान्य किया जावेगा, को अनुबंध निष्पादित करने हेतु विधिवत सूचना दी जावेगी। यदि रेट कान्ट्रेक्ट ऑफरकर्ता निगम द्वारा निर्धारित समय सीमा में निगम के साथ अनुबंध निष्पादित नहीं करते हैं तो निगम द्वारा उनके बिड/आफर को अमान्य करते हुए जमा संकल्प धन राशि को जप्त कर लिया जायेगा।

11 तकनीकी मापदंड :-

1. यह एकिलामाइड मुक्त पोटेशियम पौलीएकिलेट आधारित कसलिंगड पोलीमर होना चाहिये।
2. यह फ्री फ्लोईंग सफेद रवेदार कण होना चाहिए जो पानी में अघुलनशील हो तथा जल को अवशोषित कर जेल में परिवर्तित होने की क्षमता रखता हो।
3. इसमें अपने भार का 250-300 गुना पानी धारण की क्षमता होनी चाहिए।
4. मृदा में इसकी अभिक्रिया उदासीन होनी चाहिए एवं कोई प्रतिकूल प्रभाव भी न हो।
5. यह फसलों में जल एवं पोषक तत्व उपयोग क्षमता में वृद्धि करने में सक्षम होना चाहिए।
6. यह उत्पाद जल अवशेषक है अतः इसकी पैकिंग वायुराधी व बहुत अच्छी होनी चाहिए।

12. हाईड्रोजेल (वाटर एब्जॉर्वेन्ट) के पैकेट पर निर्माता के नाम एवं अन्य विवरण -

आफरकर्ता को प्रदाय के पूर्व समस्त हाईड्रोजेल (वाटर एब्जॉर्वेन्ट) के पैकेटों पर निम्नानुसार विवरण अंकित होना आवश्यक है :-

1. हाईड्रोजेल (वाटर एब्जॉर्वेन्ट) का नाम :
2. निर्माता का नाम एवं पता :
3. निर्माण वर्ष :
4. बैच नम्बर
5. एक्सपायरी तिथि
5. ब्राण्ड नेम (मेक) :
6. हाईड्रोजेल (वाटर एब्जॉर्वेन्ट) के पैकेट का वजन
7. एम.आर.पी :
8. सामग्री के उपयोग की विधि

सामग्री का निरीक्षण थर्ड पार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। निरीक्षण संबंधी व्यय निर्माता को स्वयं वहन करना होगा।

13. निगम के माध्यम से प्रदाय :-

- अ. निगम द्वारा अनुबंधित प्रदायकों के लिये यह आवश्यक होगा कि वे निगम द्वारा अनुमोदित दरों पर राज्य के शासकीय विभागों/शासकीय उपक्रमों को निगम के माध्यम से ही विधिवत प्रदाय आदेश जारी होने के उपरांत ही प्रदाय करेंगे। यदि यह पाया जाता है कि प्रदायक द्वारा बिना निगम को जानकारी दिये किसी अन्य विभाग के माध्यम से प्रदाय किया जाता है तो निगम ऐसे प्रदायक की अनुमोदित दरों को निरस्त करते हुए जमा धरोहर राशि को जप्त कर सकेगा तथा धरोहर राशि के जप्त करने के प्रकरण में, धरोहर राशि जप्त करने के साथ ही निगम के प्रबंध संचालक संबंधित फर्म को निगम के माध्यम से प्रदाय करने के लिए 1 से 5 वर्ष तक के लिए वंचित भी कर सकते हैं।
- ब. निगम द्वारा दरों को स्वीकृत करने का अर्थ यह नहीं होगा कि, इन स्वीकृत दरों को मध्यप्रदेश राज्य के लिये अनुमोदित दरें मानते हुये अनुबंधकर्ता किसी भी विभाग से सीधा व्यवसाय करें। किसी भी विधिक प्रयोजन की दृष्टि से निगम द्वारा स्वीकृत दर "अनुमोदित दरों" के रूप में मान्य नहीं होगी। बिना निगम की जानकारी के यदि स्वीकृत दरों पर कोई व्यवसाय किया जाता है तो, निगम उसके लिये किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं होगा। प्रत्येक रेट कान्ट्रेक्ट ऑफरकर्ता से अपेक्षा की जाती है कि वह इस शर्त के संबंध में व्यवसाय करने के पूर्व संबंधित विभाग को लिखित में अवगत करा दें।

14. सामग्री के प्रदाय हेतु निर्धारित प्रक्रिया एवं समय सीमा -

- अ. निगम आदेश में उल्लेखित समय सीमा के अन्तर्गत निगम के जिला कार्यालय के माध्यम से आदेशानुसार निर्धारित स्थान पर सामग्री प्रदाय किया जाना आवश्यक है। आवश्यकतानुसार यह समय सीमा घटाई भी जा सकती है।
- ब. आदेशित मात्रा अनुसार निगम के जिला कार्यालय के माध्यम से निर्धारित विभाग/स्थान तक पहुंचाने की समस्त जवाबदारी संबंधित प्रदायक की रहेगी। निगम द्वारा जारी आदेश में उल्लेखित प्रदाय की तिथि/स्थल में प्राप्तकर्ता विभाग द्वारा परिवर्तन किया जाता है तो विधिवत सूचना प्रदायकों को दी जावेगी। प्रदायक द्वारा नवीन शेड्यूल के अनुसार सामग्री निर्धारित दर पर प्रदाय करना होगी। उक्तानुसार परिवर्तन होने पर किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान निगम द्वारा प्रदायक को नहीं किया जावेगा।
ऑफरकर्ता को आदेशानुसार सामग्री प्रदाय उपरांत तीन दिवस के अन्दर पावती के साथ क्रय देयक संबंधित शाखा को प्रस्तुत करना होगा। ऑफरकर्ता के क्रय देयक में ऑफरकर्ता/निर्माता का जीएसटी नम्बर एवं निगम के जीएसटी नम्बर का भी स्पष्ट उल्लेख किया जावेगा। ऑफरकर्ता द्वारा हाईड्रोजेल (वाटर एब्जॉर्वेन्ट) भारत शासन द्वारा लगाये गये जीएसटी कर एवं करादान संबंधी नियमों का पालन करना होगा।

- स. प्रदायक द्वारा निर्धारित समय सीमा में सामग्री प्रदाय न किये जाने की दशा में संबंधित कंसाईनमेंट प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति से ही मान्य किया जा सकेगा।
- द. प्रदायक द्वारा यदि प्रदायगी में विलंब किया जाता है एवं विलंब के कारण विभाग/निगम को हानि होती है तो इस हानि के लिये प्रदायक की जवाबदारी होगी, जिसकी वसूली निगम द्वारा प्रदायक की धरोहर राशि एवं लंबित भुगतान से की जावेगी। हानि की राशि का निर्धारण निगम के प्रबंध संचालक द्वारा किया जावेगा जिसे रेट कान्ट्रेक्ट ऑफरकर्ता द्वारा मान्य किया जावेगा।
- इ. हाईड्रोजेल (वाटर एब्जॉर्वेन्ट)ों की तकनीकी गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रदायक को भारत शासन से मान्यता प्राप्त गुणवत्ता निरीक्षण एजेन्सी (तृतीय पक्ष/कृषि विश्वविद्यालय/एन.ए.बी.एल. अनुमोदित लेबोर्टरी इत्यादि) से निर्माण इकाई (फैक्ट्री) में डिस्पेच से पूर्व प्रत्येक लॉट से हाईड्रोजेल (वाटर एब्जॉर्वेन्ट) की गुणवत्ता निरीक्षण करवाना है एवं प्रत्येक डिस्पेच की निरीक्षण रिपोर्ट देयक के साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगी। निरीक्षण शुल्क का वहन प्रदायकर्ता को ही करना होगा। यदि कर्ता द्वारा अन्य किसी माध्यम से गुणवत्ता परीक्षण की शर्त रखी जाती है तो वह भी तदानुसार प्रदायक को मान्य करनी होगी।
- ई. परिवहन के दौरान सामग्री को आग, चोरी, एक्सीडेंट, टूट-फूट आदि किसी भी प्रकार से हुए नुकसान की जवाबदारी ऑफरकर्ता की रहेगी। इस प्रकार से हुए नुकसान की भरपाई ऑफरकर्ता द्वारा ही पूरी की जाना होगी।

15. न्यूनतम दर का निर्धारण :-

रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर में प्रस्तुत की गयी दर न्यूनतम होना आवश्यक है। प्रदायक द्वारा यह अंडरटेकिंग देनी होगी कि उनके द्वारा दी गयी दरें न्यूनतम हैं एवं बाजार दरों के समकक्ष हैं।

16. भुगतान :-

प्रदायक के देयक का भुगतान आदेशानुसार सामग्री निर्धारित स्थान पर संबंधित विभाग क्रेता को प्राप्त होने के उपरांत विभाग/क्रेता द्वारा विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, निगम को राशि प्राप्त होने के उपरांत अर्थात् "भुगतान पश्चात भुगतान" के आधार पर 15 दिवस में किया जावेगा। निगम द्वारा यह सामग्री किसी विभाग को प्रदाय की जाना है। निर्माता को भुगतान करने से पूर्व निगम को विभाग से राशि प्राप्त होना आवश्यक होगा।

17. कंसाईनमेंट को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार :-

प्रदायक को आदेशानुसार निर्धारित मापदण्ड की सामग्री निर्धारित समय सीमा में प्रदाय किया जाना आवश्यक है। निम्न स्थितियों में प्रदायक द्वारा भिजवाया गया कंसाईनमेंट अस्वीकृत किया जा सकता है :-

- अ. सामग्री निर्धारित मापदण्ड अनुसार न होने की दशा में।
- ब. निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के पश्चात कंसाईनमेंट प्राप्त होने की दशा में।

स. क्रेता विभाग द्वारा किसी भी कारणवश (बैग कटा फटा होना, हाईड्रोजेल (वाटर एब्जॉर्वेन्ट) गीला होना इत्यादि के कारण से) सामग्री अस्वीकृत की जाती है तो प्रदायक को सामग्री निर्धारित मापदण्ड अनुसार बदलकर देना होगी ।

यदि उक्त कारणों के आधार पर कंसाईनमेंट अस्वीकृत किया जाता है या क्रेता विभाग द्वारा हाईड्रोजेल (वाटर एब्जॉर्वेन्ट) की मांग कम की जाती है तो रेट कान्ट्रेक्ट ऑफरकर्ता को सूचित किये जाने के उपरांत निर्धारित समय सीमा में ऑफरकर्ता को स्वयं के व्यय पर कंसाईनमेंट वापिस लेना होगा। किसी भी स्थिति में निगम कंसाईनमेंट वापिस होने से हुए नुकसान के लिये उत्तरदायी नहीं रहेगा ।

18. प्राईस फॉल क्लॉज :-

रेट कान्ट्रेक्ट ऑफरकर्ता द्वारा जो दरें निगम को प्रस्तुत की हैं, वे दरें न्यूनतम होना आवश्यक है । निगम के साथ हस्ताक्षरित अनुबंध के प्रभावशील रहने तक ऑफरकर्ता द्वारा किन्हीं अन्य संस्थाओं/व्यक्ति/शासन/शासकीय उपक्रम अथवा म.प्र. की अन्य किसी संस्था को सामग्री का प्रदाय इस निगम से अनुबंधित प्रदाय दरों से कम दर पर किसी भी स्थिति में प्रदाय नहीं कर सकेगा । यदि यह स्थिति निगम के संज्ञान में आती है तो प्रदायक द्वारा अनुबंध दिनांक से उक्त स्थिति के प्रमाणित होने तक प्रदाय की गई समस्त सामग्री पर वहीं दर लागू मानते हुए अंतर की राशि की वसूली की जावेगी । साथ ही निगम द्वारा प्रदायक के अनुबंध को निरस्त करते हुए प्रदायक की धरोहर राशि जप्त करने की कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा जिसके लिये प्रदायक उत्तरदायी रहेगा ।

19. ऑन लाईन रेट कान्ट्रेक्ट आफर खुलने की तिथि को अवकाश :-

आन लाईन रेट कान्ट्रेक्ट आफर खुलने की निर्धारित तिथि दिनांक 18-01-2018 को यदि शासन/जिला प्रशासन द्वारा अवकाश घोषित किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में ऑन लाईन रेट कान्ट्रेक्ट आफर दूसरे कार्यालयीन दिवस को निर्धारित समय पर ही प्राप्त किये तथा खोले जावेंगे ।

20. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के उद्यमियों से क्रय :-

राज्य शासन की नीति के तहत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रेट कान्ट्रेक्ट ऑफरकर्ता जिनके द्वारा जिला उद्योग केन्द्र में विशेष पंजीयन से संबंधित सर्टिफिकेट प्रस्तुत किया जावेगा एवं जो ऑन लाईन रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर शर्तों के अनुरूप योग्य पाये जावेंगे, को निर्धारित नीति अनुसार व्यवसाय में न्यूनतम 30 प्रतिशत की भागीदारी सुनिश्चित की जावेगी। यह व्यवस्था केवल उन्हीं प्रकरणों में मान्य होगी जहां शासन से फर्म आदेश प्राप्त होता है। कृषक द्वारा क्रय किये जाने की स्थिति में कृषक को चयन करने का पूर्ण अधिकारी है।

21. रेट कान्ट्रेक्ट ऑफरकर्ता द्वारा ऑन लाईन रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रस्तुत किये जाने की दशा में यह माना जाएगा कि उनके द्वारा ऑन लाईन रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर प्रपत्रों के सभी नियम एवं शर्तों को भलीभांति पढ़ लिया गया है एवं रेट कान्ट्रेक्ट ऑफरकर्ता सभी नियम एवं शर्तों से सहमत है । रेट कान्ट्रेक्ट ऑफरकर्ता को रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर प्रपत्र के समस्त पृष्ठों पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा ।
22. निगम के प्रबंध संचालक ऑन लाईन रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर की किसी भी शर्त में आंशिक/पूर्ण परिवर्तन/संशोधन/निरस्त करने के लिये अधिकृत रहेंगे ।
23. वारण्टी/गारण्टी –
- प्रदाय किये जाने वाले हाईड्रोजेल (वाटर एब्जॉर्वेन्ट)ों के प्रदाय पश्चात् निर्माण संबंधी त्रुटि पाये जाने पर बदलकर उपलब्ध कराने की जबाबदारी रेट कान्ट्रेक्ट ऑफरकर्ता की स्वयं की होगी । इस हेतु निगम द्वारा पृथक से कोई भी भुगतान नहीं किया जावेगा ।
24. डीलर नेटवर्क –
- आवश्यकतानुसार प्रदायकर्ता को प्रदेश में एक डीलर के माध्यम से व्यवसाय करने का अवसर दिया जा सकता है ।
25. विवाद की स्थिति :-
- रेट कान्ट्रेक्ट ऑफरकर्ता एवं निगम के बीच यदि कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो प्रकरण निगम के प्रबंध संचालक को आर्बीट्रेटर के रूप में प्रस्तुत किया जावेगा । आर्बीट्रेटर के निर्णय से असंतुष्ट होने की दशा में न्यायालयीन क्षेत्र भोपाल रहेगा ।

उप महाप्रबंधक (विपणन)



दि एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन
पंचानन, तृतीय मंजिल, मालवीय नगर, भोपाल

Phone: 2551807/2551652/2551756/2556857; FAX 2557305

Email: mpagrohbpl@gmail.com

तकनीकी मापदण्ड

1. यह एकिलामाइड मुक्त पोटेसियम पौलीएकिलेट आधारित क्रासलिंकड पोलीमर होना चाहिये।
2. यह फ्री फ्लोईंग सफेद रवेदार कण होना चाहिए जो पानी में अघुलनशील हो तथा जल को अवशोषित कर जेल में परिवर्तित होने की क्षमता रखता हो।
3. इसमें अपने भार का 250-300 गुना पानी धारण की क्षमता होनी चाहिए।
4. मृदा में इसकी अभिक्रिया उदासीन होनी चाहिए एवं कोई प्रतिकूल प्रभाव भी न हो।
5. यह फसलों में जल एवं पोषक तत्व उपयोग क्षमता में वृद्धि करने में सक्षम होना चाहिए।
6. यह उत्पाद जल अवशेषक है अतः इसकी पैकिंग वायुराधी व बहुत अच्छी होनी चाहिए।



दि एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन
पंचानन, तृतीय मंजिल, मालवीय नगर, भोपाल

Phone: 2551807/2551652/2551756/2556857; FAX 2557305

Email: mpagrohbpl@gmail.com

रेट कान्ट्रेक्ट ऑफरकर्ता अपनी फर्म से संबंधित जानकारी निम्नानुसार प्रारूप में दें ।

1.	फर्म/यूनिट का नाम
2.	फर्म का पता	कार्यालय.....
3.	मुख्य गतिविधियां
4.	मालिक/पार्टनर का नाम
5.	उस व्यक्ति का नाम एवं पद जिसे रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत किया गया हो ।
6.	संलग्न डिमांड ड्राफ्ट राशि रु/- का विवरण । (ड्राफ्ट की संख्या अधिक होने की स्थिति में जानकारी अतिरिक्त प्रपत्र में दी जा सकती है)	बैंक ड्राफ्ट क्रमांक दिनांक जारी करने वाले बैंक का नाम
7.	टेलीफोन नंबर
8.	फैक्स/ई मेल नंबर
9.	वैद्य जी.एस.टी. नम्बर
10.	पैन नंबर
11.	क्या उपरोक्त फर्म अथवा इसके स्वामित्व अथवा इसके साझेदारी वाली किसी अन्य फर्म को केन्द्रीय/प्रादेशिक किसी भी शासकीय संस्थान द्वारा किसी भी समय ब्लेक लिस्ट/प्रदाय से वंचित किया गया है यदि हां तो उसका कारण एवं विवरण ।

रेट कान्ट्रेक्ट ऑफरकर्ता के हस्ताक्षर एवं सील

वित्तीय प्रस्ताव

1.	फर्म/यूनिट का नाम
2	फर्म का पता	कार्यालय.....
3	अधिकृत प्रतिनिधि का नाम एवं मोबाईल नम्बर

क्र	हाईड्रोजेल (वाटर एब्जॉर्वेन्ट) का नाम/ ब्राण्ड नेम	एच.एस. एन. कोड	मूल दर	जी.एस. टी.	निगम मार्जिन 5 प्रतिशत (मूल दर पर)	निगम मार्जिन पर जी.एस.टी.	प्रदाय दर रूपये प्रति नग सभी कर एवं 5 प्रतिशत निगम मार्जिन सहित एफओआर विकासखण्ड/ग्राम पंचायत स्तर तक पहुंचाकर	
							अंको में	शब्दों में
1	2	3	4	5	6	7	8	
1								

रेट कान्ट्रैक्ट ऑफरकर्ता के हस्ताक्षर एवं सील

:: अनुबंध ::

यह अनुबंध आज दिनांक को मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम जो कि कम्पनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत गठित शासकीय उपक्रम है तथा आगे इसे "निगम" कहा जावेगा की ओर से श्री सी.एस.श्रीवास्तव, उप महाप्रबंधक (विपणन) एवं मेसर्स की ओर से श्री पदनाम जिनके हस्ताक्षर अनुबंध पर है, जिन्हें आगे प्रदायक कहा जावेगा, के बीच निष्पादित किया गया है ।

यह कि निगम द्वारा समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित कर हाईड्रोजेल (वाटर एब्जॉर्वेन्ट) प्रदाय हेतु दिनांक 18-01-2018 को रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर आमंत्रित की गयी थी। प्रदायक द्वारा ऑन लाईन रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर क्रय करते हुए ऑन लाईन रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर प्रपत्र की सभी शर्तों को मान्य करते हुए रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर में भाग लिया गया है। ऑन लाईन रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर प्रपत्र भी अनुबंध का हिस्सा है।

निगम द्वारा पत्र क्रमांक दिनांक से प्रदायक की रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर को मान्य करते हुए अनुबंध करने बाबत कार्यवाही की गई है ।

निगम द्वारा प्रदायक की हाईड्रोजेल (वाटर एब्जॉर्वेन्ट) हेतु दरों को स्वीकृत किया गया है, का विवरण संलग्न (परिशिष्ट 2) पर उल्लेखित है, का (आन लाईन रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर प्रपत्र में) निर्धारित शर्तों अनुसार निगम को प्रदाय करने हेतु सहमत है ।

निम्नानुसार दस्तावेज/दस्तावेजों में उल्लेखित शर्तें एवं नियम अनुबंध का हिस्सा होंगे:-

1. ऑन लाईन रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर प्रपत्र में उल्लेखित सभी शर्तें ।
2. हाईड्रोजेल (वाटर एब्जॉर्वेन्ट) की निर्धारित मापदण्ड (रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर परिशिष्ट क्र0 2 अनुसार)
3. प्रदायक का सहमति पत्र दिनांक
4. प्रदायक द्वारा प्रस्तुत आन लाईन रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर व अन्य जानकारियां ।
उक्तानुसार उल्लेखित दस्तावेज/दस्तावेजों में उल्लेखित नियम व शर्तें अनुबंध का हिस्सा रहेंगे ।
अनुबंध के संबंध में निगम के प्रबंध संचालक का निर्णय अंतिम ओर मान्य रहेगा ।
उक्तानुसार विवरण के आधार पर दोनों पक्ष के मध्य अनुबंध उल्लेखित दिनांक को संपादित किया जाता है ।

उप महाप्रबंधक (विपणन)

गवाह :

1.

2.

रेट कान्ट्रेक्ट ऑफरकर्ता (प्रदायक)